

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur
वेबसाइट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in ई-मेल- caodlb@gmail.com टेलीफोन/फैक्स नं - 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(160)लेखा/DLB/SFC/2015-20/1611

दिनांक : 29.12.2016

—:: स्वीकृति आदेश ::—

नगर निगमों को वर्ष 2015-16 में पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत प्रथम किस्त की राशि में से विभागीय स्वीकृति क्रमांक प.6(ट)(160)लेखा/डीएलबी/एसएफसी/2015-20/1611 दिनांक 29.12.16 (स्वीकृति संलग्न) द्वारा विभागीय स्तर पर राशि रूपये 7587.83 लाख की कटौति की गयी है।

उक्त राशि रूपये 7587.83 लाख (अक्षरे रूपये पिचहत्तर करोड़ सत्यासी लाख तेयासी हजार मात्र) कोष कार्यालय, सचिवालय जयपुर के माध्यम से निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए निम्न बजट मद में समायोजित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
विकलेय मद

जमा मद

मांग संख्या 29		
2217 - शहरी विकास	01. कार्यकारी निदेशक RUDSICO, के निजी निक्षेप खाता संख्या 169 में हस्तांतरण योग्य राशि	2571.69 लाख
80 - सामान्य		
192 - नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता		
(14) - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	02. बजट मद (-) 4217-60-050-03-00-17 वृहद निर्माण आयोजना (आरयूआईडीपी का द्वितीय चरण का अंशदान)	376.80 लाख
[01] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान		
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)(आयोजना)		
	03. निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के निजी निक्षेप खाते संख्या 3792 में हस्तान्तरण योग्य राशि (अग्निशमन सेवा एवं जल स्वावलम्बन योजना)	4639.34 लाख
	राशि रूपये 7564.72 लाख	
मांग संख्या 51		
[02] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान		
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)(आयोजना)		
	राशि रूपये 23.11 लाख	
कुल योग-	राशि रूपये 7587.83 लाख	कुल योग- राशि रूपये 7587.83 लाख

इस स्वीकृति के लिए वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी.क्रमांक 171601283 दिनांक 27.12.2016 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गयी है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(160)लेखा/DLB/SFC/2015-20/16112-361 दिनांक : 29.12.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति अनुसार राशि रूपये 7587.83 लाख सम्बन्धित मद में समायोजन/हस्तान्तरण की स्वीकृति जारी कराने हेतु।
2. कार्यकारी निदेशक, Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Limited (RUDSICO) जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
5. उप निदेशक (प्रशासन), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
8. आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी, समस्त नगर परिषद/पालिकायें।
9. अंक मिलान शाखा/बजट शाखा।
10. प्रभारी आई टी प्रकोष्ठ/प्रभारी ई-गवर्नेंस/समन्वयक, सीएमएआर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

जू-1100
17/01/17

दिनांक 03.01.2017

क्रमांक : प.4(357)(वित्त-1)(1)आय व्ययक/2015/

कोषाधिकारी,
सचिवालय, जयपुर।

(स्वीकृति संख्या 614 /2016-17)

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर परिषद/पालिकाओं को पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में विभागीय स्तर पर काटी गयी राशि का समायोजन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक प. 6(ट)(160) लेखा/डीएलबी/एसएफसी/2015-20/16111 दि० 29.12.2016 के क्रम में निर्देशानुसार लेख हैं कि राशि रूपये 7587.83 लाख (अक्षरे रूपये पिचहत्तर करोड़ सत्यासी लाख तियासी हजार मात्र) का निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुये निम्नानुसार बजट मदों में समायोजन/हस्तांतरण कर दिया जावे:-

विकलेय मद

जमा मद

मांग संख्या 29 2217 - शहरी विकास 80 - सामान्य 192 - नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता (14) - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान [01] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)(आयोजना) राशि रूपये 7564.72 लाख	01. कार्यकारी निदेशक RUDSICO, के निजी निक्षेप खाता संख्या 169 में हस्तांतरण योग्य राशि 2571.69 लाख 02. बजट मद (-) 4217-60-050-(03)-[00]-17 वृहद निर्माण आयोजना (आरयूआईडीपी का द्वितीय चरण का अंशदान) 376.80 लाख 03. निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के निजी निक्षेप खाते संख्या 3792 में हस्तान्तरण योग्य राशि (अग्निशमन सेवा एवं जल स्वावलम्बन योजना) 4639.34 लाख
मांग संख्या 51 [02] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)(आयोजना) राशि रूपये 23.11 लाख	
कुल योग-	राशि रूपये 7587.83 लाख
कुल योग-	राशि रूपये 7587.83 लाख

भवदीय

जसवन्त सिंह

(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-1 राजस्थान, जयपुर।
02. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज० जयपुर।
04. कार्यकारी निदेशक RUDSICO जयपुर।
05. परियोजना निदेशक, RUIDP जयपुर।
06. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-III) विभाग, राजस्थान जयपुर।
07. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
08. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर सैल, एफ.डी. जयपुर।
09. सुरक्षित पत्रावली।

जसवन्त सिंह

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

सी 254
18.01